निग / 2786 / PBR / 15

निगरानी प्रकरण क्र. / 2015

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

1— मदनलाल पिता नग्गाजी जाट
निवासी — ग्राम रेशमकेन्द्र
तहसील हातोद जिला इन्दौर

2— मुकेश पिता रणछोड़ जाट
निवासी — सदर

— आवेदकगण / (प्रतिप्रार्थी)

विरूद्ध

प्रदीप कुमार पिता सदाशिव ब्राह्मण
निवासी — ग्राम खजुरिया
तहसील हातोद जिला इन्दौर

— अनावेदक / (प्रार्थी)

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

आवेदकगण श्रीमान तहसीलदार महोदय हातोद द्वारा प्रकरण क्र. 10 / अ–13 / 2014–15 (प्रदीप कुमार विरूद्ध मदनलाल व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर अन्य आधारों के साथ निम्न आधारों पर सदर निगरानी प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2786—पीबीआर/2015 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18—11—2015	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—06—2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसकी भूमि पर निकलने में रोका—टोकी करने एवं नहीं निकलने हेतु वचनों का उपयोग किया गया है, जो कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत नहीं आता है । उपरोक्त आवेदन पत्र को तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र का निराकरण गुणदोष पर ही किया जायेगा, तभी उभयपक्ष को न्याय का लाभ मिलेगा, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	